पत्रांक–कारा/बजट–(मं0)–02–03/16– 130

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
मंडल कारा, सुपौल, आरा, लखीसराय,
नवादा, हाजीपुर, छपरा, सिवान, बेगुसराय,
बिहारशरीफ, बेतिया, मधेपुरा, खगड़िया एवं सीतामढ़ी।

पटना, दिनांक–30/3/2017।

विषयः–मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष–00, मांग सं0–22, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0002 जिला जेल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभिन्न आकस्मिक मदों की निकासी हेतु ₹88,00,000 (अठासी लाख रूपये मात्र) का अतिरिक्त आवंटन।

विपत्र कोड–N2056001010002

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब17/बी0एस0जी0–18/2016–423/वि. दिनांक–31.03.2016 पत्रांक–एम0– 4–09/2014–4572/वि0 दिनांक–03.06.2016 एवं ज्ञाप संख्या–2561/वि0(2)दिनांक–17.04.98 स्वीकृत्यादेश संख्या–1494 दिनांक–30.03.2017 द्वारा पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि एवं अधीक्षक, मंडल कारा, शेखपुरा के पत्रांक–264 दिनांक–24.03.2017 द्वारा आहार/पथ्य प्रत्यर्पित राशि को स्वीकार करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु प्रत्येक मंडल कारा के सामने अंकित राशि का अतिरिक्त पुनर्आवंटन विभिन्न आकस्मिक मदों में निम्नरूपेण स्वीकृत किया जाता है :–

क्र	कारा का नाम	कुट सं0 एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दो में
1	सुपौल	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	723000	500000	1223000	बारह लाख तेईस हजार रूपये मात्र।
		13 01 कार्यालय व्यय	470000	200000	670000	छः लाख सत्तर हजार रूपये मात्र।.
2	आरा	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	1619000	300000	1919000	उन्नीस लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र।
		21 02 दवा भंडार	890000	300000	1190000	ग्यारह लाख नब्बे हजार रूपये मात्र।
3	लखीसराय	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	1022000	300000	1322000	तेरह लाख बाईस हजार रूपये मात्र।
4	नवादा	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	1176000	200000	1376000	तेरह लाख छिहत्तर हजार रूपये मात्र।
5	हाजीपुर	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	1473000	200000	1673000	सोलह लाख तीहत्तर हजार रूपये मात्र।
		13 01 कार्यालय व्यय	720000	300000	1020000	दस लाख बीस हजार रूपये मात्र।
6	छपरा	21 03 आहार/पथ्य	43805000	2000000	45805000	चार करोड़ अनठावन लाख पाँच हजार रूपये मात्र।
		21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	2118000	1200000	3318000	तैंतीस लाख अठारह हजार रूपये मात्र।
		13 01 कार्यालय व्यय	1118000	200000	1318000	तेरह लाख अठारह हजार रूपये मात्र।
7	सिवान	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	1544000	200000	1744000	सतरह लाख चौवालीस हजार रूपये मात्र।
		13 01 कार्यालय व्यय	805000	200000	1005000	दस लाख पाँच हजार रूपये मात्र।
		21 02 दवा भंडार	1300000	200000	1500000	पन्द्रह लाख रूपये मात्र।
8	बेगूसराय	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	1730000	100000	1830000	अठारह लाख तीस हजार रूपये मात्र।
		21 02 दवा भंडार	1300000	400000	1700000	सतरह लाख रूपये मात्र
		13 01 कार्यालय व्यय	798000	300000	1098000	दस लाख अनठानबे हजार रूपये मात्र।
9	बिहारशरीफ	21 02 दवा भंडार	761000	400000	1161000	ग्यारह लाख एकसठ हजार रूपये मात्र।
10	बेतिया	13 01 कार्यालय व्यय	772000	200000	972000	नौ लाख बहत्तर हजार रूपये मात्र।

–चन्द्रदेव राम   मो. जमालुद्दीन अंसारी प्र0पदा0   राम रतन सिं उप निदेशक (बजट)

11	मधेपुरा	21 02 दवा भंडार	499000	200000	699000	छः लाख निन्यानबे हजार रूपये मात्र।
		13 01 कार्यालय व्यय	509000	200000	709000	सात लाख नौ हजार रूपये मात्र।
12	खगड़िया	21 02 दवा भंडार	544000	200000	744000	सात लाख चौवालीस हजार रूपये मात्र।
		13 01 कार्यालय व्यय	589000	200000	789000	सात लाख नवासी हजार रूपये मात्र।
13	सीतामढ़ी	21 02 दवा भंडार	744000	100000	844000	आठ लाख चौवालीस हजार रूपये मात्र।
		13 01 कार्यालय व्यय	634000	200000	834000	आठ लाख चौंतीस हजार रूपये मात्र।
		कुल योग	**67663000**	**8800000**	**76463000**	**सात करोड़ चौंसठ लाख तीरसठ हजार रूपये मात्र।**

(अठासी लाख रूपये मात्र)

2. उक्त आवंटन की स्वीकृति मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), लघु शीर्ष–101 जेल, मांग सं0–22, उपशीर्ष–0002 जिला जेल (विपत्र कोड–N2056001010002) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट उपबंधित राशि के अंतर्गत दी जा रही है।

3. इस आवंटन के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय में, बिहार वित्तीय नियमावली, वित्तीय नियमावली 2005 (संशोधित) एवं इनके अंतर्गत निर्गत समस्त नियमों, अनुदेशों तथा वित्त विभाग के ज्ञाप सं0–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग सहित विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 जेल, मांग सं0–22, उपशीर्ष–0002 जिला जेल के तहत होगा। काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या–22 विपत्र कोड–N2056001010002 में अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

5. सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाय।

6. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय तथा एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

7. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी.भी. नम्बर के साथ अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्त्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

3/3

महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

चन्द्रदेव राम मो॰ जमालुद्दीन अंसारी 21.3.17

ज्ञापांक–कारा/बजट–(मं0)–02–03/16–130 पटना, दिनांक 3.3.2017।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3

महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

चन्द्रदेव राम मो॰ जमालुद्दीन अंसारी 21.3.17

ज्ञापांक–कारा/बजट–(मं0)–02–03/16–130 पटना, दिनांक 30.3.2017।

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/17

महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

चन्द्रदेव राम मो॰ जमालुद्दीन अंसारी 21.3.17

ज्ञापांक–कारा / बजट–(मं0)–02–03 / 16–　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक............2017।

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, शेखपुरा / अधीक्षक, मंडल कारा, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3

महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा / बजट–(मं0)–02–03 / 16– 130　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक 30.3. 2017।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3

महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।